उप-मंत्रियों के निजी कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं;

(ख) क्या यह सच है कि मंत्रियों के निजी कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के निजी सचिवों और सहायक निजी सचिवों की संख्या नगण्य है;

(ग) क्या सरकार इस आशय के प्रस्ताव पर विचार करेगी कि उपरोक्त तीन श्रेणियों के मंत्रियों के निजी सचिव अथवा सहायक निजि सचिव के एक पद पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्ति को अनिवार्य रूप से नियुक्त किया जाये; और

(घ) क्या निजी कर्मचारियों में आशुलिपिकों को भी आरक्षित कोटे के अनुसार नियुक्त किया जायेगा; और यदि नहीं, तो उस के क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) और (घ). मंत्री तथा उप-मंत्री अपने निजी कर्मचारियों का चयन अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं और ऐसी नियुक्तियां मंत्रियों के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाती हैं। अतः इन नियुक्तियों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कोटा का आरक्षण लागू करना व्यवहारिक नहीं है ।

मंत्रालयों में हिन्दी में टिप्पणी और मसौदा लेखन

9837. **श्री बंश नारायण सिंह :**
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न मंत्रालयों के अनेक पदाधिकारी और भारत सरकार के अनेक कार्यालय अपने अधीनस्थ उन कर्मचारियों को, जो हिन्दी में टिप्पणी और मसौदा लेखन करना चाहते हैं, अपना काम अंग्रेजी में करने के लिए बाध्य करते हैं;

(ख) यदि हां तो उक्त अधिकारियों के नाम और पद नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार टिप्टणी और मसौदा लेखन के मामले में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करने के सम्बन्ध में आदेश जारी करने के प्रश्न पर विचार करेंगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). जुलाई, 1968 जारी किये गये प्रशासनिक अनुदेशों में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि कोई कर्मचारी टिप्पण अथवा मसौदा लेखन के प्रयोजनों के लिए हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी का प्रयोग कर सकता है और यह कि स्वयं उससे उसका अनुवाद प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। जब कभी इस सम्बन्ध में प्रतिबन्ध का कोई दृष्टान्त गृह मंत्रालय के ध्यान में लाया जाता है तो सम्बन्धित विभाग कार्यालय के साथ उस मामले पर बातचीत की जाती है। कार्यालयों तथा कर्मचारियों के नामों तथा पदनामों के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ग) और (च). हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों को सरकारी काम में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से हिन्दी जानने वाले वरिष्ठ अधिकारियों से छोटी टिप्पणियों के लिखने में हिन्दी का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। ऐसी टिप्पणियों की निदर्शी-सूची परिचालित की गई है।

Adult Education Programme

9838. SHRI S. KUNDU : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have launched recently Adult Education programme or are planning to lunch the same;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any districts have been considered suitable to lunch such pilot scheme; and

(d) if so, the names of such districts and method and content of such adult education ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V.K.R.V. RAO) : (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—3538/70]

Seniority of Permanent Government Employees

9839. SHRI RAM CHARAN :
SHRI NARDEO SNATAK :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that that according to the orders issued by his Ministry, a permanent Government servent is treated as senior to the temporary Government servant in the Central Secretariat and its Attached and Subordinate offices;

(b) whether it is also a fact that there are about 430 Lower Division Clerks in the ordnance Depots of the Ministry of Defence, belonging to the Scheduled Casts and Scheduled Tribes and most of them are permanent Government servants;

(c) whether it is further a fact that the Lower Division Clerks other than those belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who were confirmed after the Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates, are being promoted, while the Scheduled Caste/ Scheduled Tribe candidates are not being considered for promotion; and

(d) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) According to the general principles of seniority contained in Office Memorandum No. 9/11/55—Rps, dated 22-12-1959, issued by the Ministry of HOme Affairs, Permanent officers of a grade shall be ranked senior to persons who are officiating in that grade. However, these principles of seniority have not so far been adopted in the case of Class III and IV civilian employees of the lower formations under the Ministry of Defence.

(b) to (d). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए धन का नियतन

7840. श्री रामावतार शास्त्री : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिये नियत धन इससे पहले, इसके लिए की गई व्यवस्था की तुलना में, बहुत कम है जैसा कि उनके मंत्रालय के वर्ष 1969–70 के वार्षिक प्रतिवेदन में स्पष्ट है ;